**वित्तीय स्वीकृति**

**संख्या-51/1966/52-3-14-बजट(16)/2014**

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 29 सितम्बर, 2014

विषयः-अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं में अध्यापन के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु प्रदेश के मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा "राराज्य अध्यापक पुरस्कार" से पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. शिक्षकों को पुरस्कृत करने की इस योजनान्तर्गत शैक्षिक क्षेत्र में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा अनुदानित तहतानिया (प्राइमरी), □□□□□□□ (□□□ प्राइमरी स्तर) व □□□□ (माध्यमिक) स्तर के मदरसों में शिक्षणकार्य कर रहे तीन-तीन शिक्षकों अर्थात कुल 09 शिक्षकों को चयनित कर उन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा। यह संख्या भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार घट-बढ़ □□ □□□□ □□

3. राज्य पुरस्कार हेतु शिक्षकों के चयन हेतु निम्नंाकित अर्हतायंे होगीः-

(1) प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रूप में दोनो पदों की सेवाओं को जोड़ते हुये कुल 15 वर्ष के नियमित शिक्षण कार्य का अनुभव।

(2) विशिष्ट श्रेणी (विकलांग) के शिक्षकों के संबंध में प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रूप में दोनो पदों की सेवाओं को जोड़ते हुये कुल 10 वर्ष के नियमित शिक्षण कार्य का □□□□□

(3) प्रबन्धक/निरीक्षक तथा प्रशिक्षण संस्थानोें के स्टाफ पुरस्कार पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(4) सेवानिवृत्त शिक्षकों पर विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु सेवा निवृत्ति के पूर्व यदि राज्य पुरस्कार हेतु उसका आवेदन पत्र अग्रसारित कर दिया गया , तो उसपर विचार किया □□□□□

4. शिक्षकों के चयन में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों का चिन्हांकन करने हेतु निम्न बिन्दु पर विशेष ध्यान रखा जायेगा:-

(1) शिक्षक की स्थानीय समुदाय में छवि।

(2) शिक्षक की शैक्षिक क्षमता एंव उसमें सुधार किये जाने की चेष्टा।

(3) छात्र/छात्राओं के प्रति वास्तविक स्नेह रखने व उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित करने की क्षमता।

(4) समुदाय में शिक्षक की सहभागिता तथा नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता।

(5) शिक्षा के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य या अभिनव प्रयोग।

5. शिक्षकों के चयन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) राज्य पुरस्कार से लाभान्वित किये जाने के लिए अध्यापक/अध्यापिकाओं के चयन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराकर निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। आवेदन पत्र अध्यापक/अध्यापिकाओं को निर्धारित तिथि तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(2) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करके शिक्षकों के 10 वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियां संलग्न कर निर्धारित तिथि तक जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कार्य, निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा:-

(□) उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य

(□) दो वरिष्ठतम खण्ड शिक्षा अधिकारी सदस्य

(□) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संयोजक सदस्य

यदि उक्त समिति को निर्धारित तिथि तक किन्ही अन्य श्रोतों से भी कुछ अर्ह शिक्षकों के नाम प्राप्त होते है, तो उन्हें भी सूची में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा परीक्षण किये गये प्रस्ताव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) अध्यापकों/अध्यापिकाओं के चयन हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जो निम्नवत होगीः-

(□) जिलाधिकारी अध्यक्ष

(□) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य

(□) जनपद के राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या। सदस्य

(□) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संयोजक सदस्य

उक्त समिति प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर पुरस्कार हेतु गुण-दोष तथा उत्कृष्ट कार्यो की समीक्षा करके निर्धारित समय तक अपनी संस्तुति देगी, जिसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा तीन प्रतियों में तैयार कर राज्य स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ समस्त विवरण/अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि तक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखन ऊ को उपलब्ध करायेगी□

निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्रस्ताव, किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नही किया जायेगा।

उक्त समिति द्वारा संस्तुत किये गये शिक्षकों के संबंध में निम्नांकित ध्यान रखा जायेगा:-

(क) संबंधित शिक्षक के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही गतिमान न हो

(ख) उसके विरूद्ध कोई विधिक/आपराधिक /सतर्कता आदि से संबंधित जांच की कार्यवाही लंबित न हो

(ग) शासकीय धनराशि का गबन न किया गया हो।

(घ) किसी आन्दोलन में हिंसा/सरकारी सम्पत्ति की क्षति पहुँचाने का दोषी न हो

(ङ) किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो।

(5) जिला स्तरीय समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने हेतु शासन स्तर पर राज्य स्तरीय समिति निम्नवत् गठित की जायेगी :-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | सचिव /प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | अध्यक्ष |
| (ख) | सचिव , बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| (ग) | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| (घ) | रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ | सदस्य |
| (ङ.) | राज्य सरकार द्वारा नामित 02 ख्याति प्राप्त शिक्षाविद | सदस्य |
| (च) | निदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ | संयोजक सदस्य |

6. मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा चयनित शिक्षकों को राज्य पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 10,000/- का नगद पुरस्कार, चाँदी का पानी चढ़ा पदक तथा शाल के अतिरिक्त निम्नांकित सुविधाएं भी अनुमन्य करायी जायेगी -

(1) तैनाती स्थल से पुरस्कार स्थल तक आने-जाने हेतु यात्रा व्यय (टी0ए0 व डी0ए0) नियमानुसार अनुमन्य होगा।

(2) राज्य परिवहन निगम की बसों में 4000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की सुविधा शिक्षा विभाग के शासनादेश सं0-886/15-11-05-5(7)/2004 दिनांक 23.9.2005 में निर्धारित मार्गदर्शित सिद्धान्तों के अनुरूप पुरस्कार प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अनुमन्य होगी।

(3) अगली वेतन वृद्धि के समतुल्य धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो उसे उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा। जो अध्यापक/अध्यापिका अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके है, उन्हें भी अन्तिम बार दी गयी वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो पूरे सेवाकाल तक मिलती रहेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. राज्य पुरस्कार के अतिरिक्त मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाने के संबंध में अरबी/फारसी मदरसों के प्राइमरी/माध्यमिक स्तर के 05 अध्यापकों को पुरस्कृत किये जाने हेतु भारत सरकार की नवीन गाइड लाइ दिनांक 07.10.2013 के अनुसार कार्यवाही की जाये, जिसमें निर्धारित प्रक्रियानुसार जनपद स्तरीय समिति में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा। जनपद स्तर से संस्तुति सहित प्राप्त प्रस्तावों को निरीक्षक, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद को प्रेषित किया जायेगा, जिसके परीक्षणोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के समक्ष रखें जायेगे, जो अपनी संस्तुति सहित उपयुक्त प्रस्ताव भारत सरकार को संदर्भित किये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-11-1179/□□-2014, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-1966(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0,
2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0,
3-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□ ,
4-समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □0प्र0,
5-□□□□□, सूचना विभाग, □□□□ ,

आज्ञा से

(□□0 □□0 द्विवेदी)
□□ □□□□

http://sfsanadesh.up.nic.in